झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–14 / 2020

सुरज पासवान .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिएः श्री शिव कुमार सिंह, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिएः श्री नरेश प्र0 ठाकुर, ए0पी0पी0।

4 / 24.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता सोनारी थाना काण्ड संख्या–3 / 2019 तद्नुसार जी0आर0 संख्या–376 / 2018 में एक अभियुक्त है।

यह आरोप लगाया गया है कि सूचक के चचेरे भाई पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि सूचक के साथ भी मारपीट की गई और इलाज के दौरान सूचक के चचेरे भाई की मौत हो गई। याचिकाकर्त्ता उस व्यक्ति में से एक है जिसने मृतक अंकुश सिंह को पकड़ लिया था। जैसा कि यह प्रतीत होता है कि आरोप सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति का है और कुछ सह–आरोपी व्यक्ति अर्थात् मंटू कर्माकार उर्फ पिंटू करमाकर और मनोज बिरूआ और राहुल कुमार उर्फ राहुल महतो को इस अदालत द्वारा बी0ए0 संख्या–11009 / 2019 और 5704 / 2019 में जमानत दी गई है।

उपरोक्त संदर्भ में, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को 10,000/– (दस हजार) रूपये के बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश–IV, जमशेदपुर के संतुष्टि पर सोनारी थाना काण्ड संख्या–3/2019 से उद्भूत सत्र वाद संख्या 249/2019 तद्नुसार जी0आर0 संख्या–376/2018 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)